भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या 318

दिनांक 15.09.2020/24 भाद्रपद, 1942(शक) को उत्तर के लिए

एनडीएमए के लॉकडाउन संबंधी दिशानिर्देश

318. श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः
श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोविड-19 के कारण देश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(एनडीएमए)लॉकडाउन को लेकर लगातार दिशानिर्देश जारी कर रहा है;
(ख) यदि हां, तो इस रोग के प्रसार को रोकने में लॉकडाउन और अनलॉक किस हद तक मददगार रहे है;
(ग) क्या एनडीएमए ने इस रोग को रोकने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के परामर्श से कोई योजना बनाई है;
(घ) क्या राज्य इस संबंध् में अपने-अपने राज्यों में कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंधं में एनडीएमए की भावी योजना क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क)आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (डीएम एक्ट, 2005), की धारा 6 (2) (i) के तहत, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) इस बात से संतुष्ट होने पर कि देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी के फैलने का खतरा है, केंद्रीय गृह सचिव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एनईसी) का अध्यक्ष होने के नाते देश में कोविड-19 को फैलने से रोकने हेतु उपाय करने और आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने के लिए निर्देशित करता रहा है। तदनुसार, एनईसी देश में समय-समय पर लॉकडाउन और अनलॉक के चरणों के बारे में दिशानिर्देश जारी करता रहा है।

(ख) भारत ने देशभर में लॉकडाउन लगाकर कोविड-19 के खतरनाक फैलाव को सफलतापूर्वक कम किया है। लॉकडाउन की अवधि से, देश को जरूरी अतिरिक्त स्वास्थ्य अवसंरचना का निर्माण करने में सफलता मिली है। इस समय के दौरान, मार्च, 2020 की तुलना में समर्पित आइसोलेशन बेडों की संख्या में 22 गुना की वृद्धि और समर्पित आईसीयू बेडों की संख्या में 14 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान कोविड-19 की जांच के लिए प्रयोगशाला की क्षमता को लगभग 10 गुना बढ़ाया गया। उस समय, जहां एक ओर अपेक्षित मानक वाले 'व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरणों (पीपीई)' का स्वदेशी निर्माण नहीं था, वहीं दूसरी ओर आज देश इसके लिए आत्मनिर्भर हो गया है और इनका निर्यात करने की स्थिति में है। इस संबंध में, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए लॉकडाउन की अवधि में देश में मास्क और वेंटीलेटर इत्यादि की उपलब्ध सीमित स्वदेशी निर्माण क्षमता को भी बढ़ाया गया।

इस अवधि के दौरान, कोविड-19 से संबंधित कार्यों और अन्य आवश्यक चिकित्सा सेवाओं के रखरखाव के लिए विभिन्न केडरों के कर्मचारियों की आवश्यकता तथा समस्त क्षेत्रों और विभागों में स्वयंसेवियों की आवश्यकता का आकलन किया गया और उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये संसाधनों और आईजीओटी, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है (https://igot.gov.in/igot/) के जरिए प्रशिक्षित किया गया। यह अनुमान लगाया गया है कि लॉकडाउन के निर्णय से भारत में महामारी के फैलने की गति को धीमी करके 14-29 लाख मामलों और 37-78 हजार मृत्यु से बचा गया है।

(ग) भारत सरकार ने कोविड-19 को रोकने, नियंत्रित करने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए व्यापक स्तर पर श्रृंखलाबद्ध कार्य किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री, मंत्रियों का एक उच्च स्तरीय समूह (जीओएम), मंत्रिमंडल सचिव, सचिवों की समिति और गृह मंत्रालय, एनडीएमए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा देश में कोविड-19 के प्रति जनता के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रहे हैं।

(घ) और (ड.) राज्य एनडीएमए की सिफारिशों के अनुसार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना के अध्यधीन अपने-अपने संबंधित राज्यों में इस बीमारी को रोकने के लिए कदम उठाने हेतु स्वतंत्र हैं।

*****